न्यायालय :- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर, जिला बिलासपुर (छ०ग०)
पीठासीन अधिकारी-रिया चक्रवर्ती

निर्णय दिनांक -25/08/2026
आपराधिक प्रकरण क्रमांक 861/2021
थाना-सरकण्डा, जिला-बिलासपुर
अंतर्गत धारा-25 आयुध अधिनियम
प्रकरण संस्थित दिनांक - 01/12/2020

अभियोजन	छत्तीसगढ़ राज्य आरक्षी केन्द्र सरकण्डा, जिला बिलासपुर
अभियोजन के पक्ष समर्थन हेतु	श्रीमती श्वेता कुर्रे ए०डी०पी०ओ०
अभियुक्तगण	1. स्वपनिल पाटनवार, पिता योगेश पाटनवार, उम्र 19 वर्ष, निवासी माता चौरा सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ०ग०) 2. बादल खान उर्फ शेख बसीर खान, शेख बहादुर, उम्र 42 वर्ष, निवासी चटर्जी गली नया सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ०ग०)
अभियुक्तगण के पक्ष समर्थन हेतु	अभियुक्त स्वपनिल पाटनवार की ओर से श्री भरत कौशिक अधिवक्ता । अभियुक्त बादल खान की ओर से श्री अनमोल त्रिवेदी अधिवक्ता ।

घटना का दिनांक	16.06.2019
रिपोर्ट दर्ज करने की तिथि	16.06.2019
अभियोग पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	01.12.2020
आरोप विरचित करने की तिथि	24.09.2022

साक्ष्य प्रारम्भ की तिथि	22.11.2022
निर्णय सुरक्षित तिथि	25.08.2026
निर्णय की तिथि	25.08.2026
दोषसिद्ध/दोषमुक्ति की आदेश की तिथि	25.08.2026

अभियुक्त का विवरण

क्र	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	जमानत पर छुटने की तिथि	आरोपित धारा	दोषसिद्धि / दोषमुक्ति	आरोपित दण्ड	धारा 468 भा.ना.सु.सं. के तहत सजा में मुजरा की गई अवधि
1	स्वपनिल पाटनवार	16.06.2019	30.09.2019	धारा 25 आयुध अधिनियम	दोषमुक्ति	निरंक	105 दिवस
2	बादल खान उर्फ शेख बसीर खान	17.06.2019	20.06.2019	धारा 25 आयुध अधिनियम	दोषमुक्ति	निरंक	4 दिवस

अनुक्रमणिका

क्रमांक	विवरण	पेज नंबर
1	निर्णय का शीर्षक	01
2	अधिवक्ता की उपस्थिति	01
3	आरोप	03
4	अभियोजन का कथन	03-04
	अभियुक्त का कथन	05
6	कारण एवं निष्कर्ष	05-18
7	सजा	17 (दोषमुक्त)
8	संपत्ति का व्ययन	17-18
9	धारा 468 भा.ना.सु.सं. के तहत प्रमाण पत्र	19-20
10	निर्णय की प्रतिलिपि	18

// निर्णय //

(आज दिनांक–25.08.2026 को घोषित)

1. प्रकरण में अभियुक्तगण स्वपनिल पाटनवार एवं बादल खान उर्फ शेख बसीर खान पर यह आरोप है कि अभियुक्त स्वपनिल पाटनवार ने दिनांक 16.06.2019 को समय 04:40 बजे स्थान–सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर छ०ग० क्षेत्राधिकार में एवं अभियुक्त बादल खान उर्फ शेख बसीर खान ने दिनांक 16.09.2019 के डेढ़ वर्ष पूर्व एक देशी मेड पिस्टल जिसकी नाल की लंबाई 6 इंच लोहा नाल के उपर अंगूल भर उभरा हुआ लोहे का बाड़ी जिसके नीचे ट्रीगर एवं ट्रीगर रॉड लगा है बट लगभग साढ़े 3 इंच लंबा लोहे का है जिसमें लकड़ी लगा है जो पेंस से कसा हुआ है चालू हालत में कीमती 1200/– रूपये एवं दो नग जिंदा कारतुस को अपने आधिपत्य में रखा जो धारा 4 आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत जारी शासन की अधिसूचना क्रमांक–6112–655 दो बी (1) दिनांक 22.01.1979 का उल्लंघन किया जो धारा 25 आयुध अधिनियम के अंतर्गत दण्डनीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय स्वीकृत एवं निर्विवादित तथ्य कुछ नहीं है ।

3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 17.06.2019 को थाना सरकण्डा के उपनिरीक्षक द्वारा हमराह स्टाफ आरक्षक के साथ चेकिंग के लिए

नूतन चौक रवाना हुए थे । चेकिंग दौरान टाउन में चेकिंग हेतु पार्टी निकली थी उनको बुलाकर चेकिंग करने पर एक युवक संदिग्ध हालत में भागा, जिसे हमराह स्टाफ द्वारा घेराबंदी का पूछताछ करने पर अपना नाम स्वपनील पाटनवार बताया जिसकी जामा तलाशी लिये जाने पर एक देशी मेड इन पिस्टल चालू हालत में कीमत लगभग 12000/— रूपये मिला जिसे समक्ष गवाहन मुताबिक जप्ती पत्रक जप्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। आरोपी स्वपनिल पाटनवार द्वारा उक्त देशी पिस्टल को बादल खान, निवासी चटर्जी गली के पास से 5000/— रूपये में खरीद कर अपने पास रखना बताया । अभियुक्तगण का उक्त कृत्य अपराध धारा 25 आर्म्स एक्ट का घटित करना पाये जाने से गिरफ्तार कर रिमाण्ड में भेजा गया। दौरान विवेचना अभियुक्तगण के खिलाफ अपराध धारा सदर का सबूत पाये जाने से अभियोग पत्र क्रमांक 581/19 दिनांक 20.09.2019 तैयार कर न्याय हेतु सादर माननीय न्यायालय प्रस्तूत है, जिस पर इस न्यायालय द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 190(1)(ख) के अंतर्गत संज्ञान लिया गया ।

4. अभियुक्तगण को उसके विरूद्ध आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराध विवरण विरचित कर पढ़कर सुनाये एवं समझाये जाने पर उन्होंने अपराध कारित करना अस्वीकार किया एवं विचारण चाहा। द०प्र०सं० की धारा 313 के तहत अभियुक्तगण का परीक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने स्वयं को निर्दोष होना, झूठा फंसाया जाना एवं प्रतिरक्षा में साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।

5. प्रकरण के मुख्य विचारणीय प्रश्न निम्नानुसार हैः-

(I) क्या अभियुक्त स्वपनिल पाटनवार ने दिनांक 16.06.2019 को समय 04:40 बजे स्थान-सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर छ०ग० क्षेत्राधिकार में एवं अभियुक्त बादल खान उर्फ शेख बसीर खान ने दिनांक 16.09.2019 के डेढ़ वर्ष पूर्व एक देशी मेड पिस्टल जिसकी नाल की लंबाई 6 इंच लोहा नाल के उपर अंगूल भर उभरा हुआ लोहे का बाड़ी जिसके नीचे ट्रीगर एवं ट्रीगर रॉड लगा है बट लगभग साढ़े 3 इंच लंबा लोहे का है जिसमें लकड़ी लगा है जो पेंस से कसा हुआ है चालू हालत में कीमती 1200/- रूपये एवं दो नग जिंदा कारतुस को अपने आधिपत्य में रखकर धारा 4 आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत जारी शासन की अधिसूचना क्रमांक-6112-655 दो बी (1) दिनांक 22.01.1979 का उल्लंघन किया ?

(III) दोषमुक्ति या दोषसिद्धि ?

-: विचारणीय प्रश्न क्रमांक (I) एवं (II) पर सकारण निष्कर्ष :-

6. उपरोक्त आरोप को साबित करने हेतु अभियोजन द्वारा अपने समर्थन में निम्नलिखित साक्षियों का कथन लेखबद्ध कराया हैः-

साक्षी क्रमांक	साक्षी का नाम	साक्षी का प्रकार
01.	बहोरिक राम गंधर्व	जप्ती गवाह

02.	बबलू शर्मा	जप्ती गवाह
03.	कमलेश बंजारे	जप्ती गवाह
04.	प्रधान आरक्षक अशोक कुमार सिंह	परीक्षण रिपोर्टकर्ता गवाह
05.	प्रतीक तिवारी	गवाह

7. उपरोक्त अपराध को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन द्वारा अपने समर्थन में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किये गये हैः—

प्रदर्श क्रमांक	दस्तावेज का नाम
1.	मेमोरेण्डम कथन
2.	तलाशी पश्चात् पंचनामा
3.	बरामदगी पंचनामा
4.	जप्ती पत्रक
5.	गिरफ्तारी पत्रक
6.	साक्षी बहोरिक राम गंधर्व का पुलिस कथन
7.	साक्षी बबलू शर्मा का पुलिस कथन
8.	मेमोरेण्डम कथन
9.	जप्ती पत्रक
10.	गिरफ्तारी पत्रक

8. **अभियोजन द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध उक्त आरोप को प्रमाणित करने हेतु**

निम्नलिखित आवश्यक तथ्यों को प्रमाणित करना आवश्यक हैः–

(अ) यह कि अभियुक्तगण द्वारा भारत सरकार गृह मंत्रालय के अधिसूचना क्रमांक–जी.सी.आर. 11306 दिनांक 1 अक्टूबर 1962 के साथ गठित आयुध अधिनियम (क्र० 59 सन् 1956) के उल्लंघन में लोकस्थान पर देशी मेड पिस्टल एवं दो नग जिंदा कारतूस को ज्ञानपूर्वक अपने आधिपत्य में रखा ?

(ब) यह कि अभियुक्तगण द्वारा उक्त मेड पिस्टल एवं दो नग जिंदा कारतूस को सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी बिना किसी वैध अनुज्ञप्ति के आधिपत्य में रखा गया ?

उपरोक्त आवश्यक तत्वों का विवेचन एवं निष्कर्ष निम्नानुसार हैः–

9. चूंकि उपरोक्त दोनों आवश्यक तत्व एक दूसरे पर परस्पर रूप से आश्रित हैं इस कारण उपरोक्त दोनों आवश्यक तत्वों का विवेचन एक साथ किया जा रहा है । उक्त आवश्यक तत्वों को प्रमाणित करने हेतु अभियोजन द्वारा स्वतंत्र एवं जप्ती साक्षी के रूप में **बहोरिक राम गंधर्व (अ.सा.01), बबलू शर्मा (अ.सा.02), कमलेश बंजारे (अ.सा. 03) एवं प्रतीक तिवारी (अ.सा. 05)** का परीक्षण कराया गया ।

10. अभियोजन साक्षी **बहोरिक राम गंधर्व (अ.सा.01) एवं बबलू शर्मा (अ.सा.02)** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किये हैं कि वे अभियुक्तगण को नहीं पहचानते हैं । वे 4–5 वर्ष पूर्व थाना सरकण्डा में क्रमशः साफ–सफाई एवं का

काम कर रहे थे तभी पुलिसवालों ने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा तब उन्होंने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर कर दिया । उक्त साक्षीगण ने यह भी कथन किया है कि मेमोरेण्डम कथन **प्र०पी० 01,** तलाशी पश्चात् पंचनामा **प्र०पी० 02,** बरामदगी पंचनामा **प्र०पी० 03,** जप्तीपत्रक **प्र०पी० 04** एवं गिरफ्तारी पत्रक **प्र०पी० 05** के क्रमशः अ से अ एवं ब से ब भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं ।

11. उक्त साक्षीगण ने अभियोजन द्वारा किये गये सूचक प्रश्न में इस बात को अस्वीकार किया है कि पुलिस वालो ने उनकी उपस्थिति में आरोपी स्वपनिल पाटनवार की तलाशी लिये थे, जिसके पास एक देशी मेड पिस्टल रखा था, जिसकी नाल की लंबाई 6 इंच, नाक के उपर अंगूल भर उभरा हुआ, लोहे की बॉडी जिसमें नीचे ट्रिगर व ट्रिगर गार्ड लगा है बट करीबन 3.50 इंच लंबा लोहे का जिसमें लकड़ी लगा है, जो पेच से कसा हुआ चालू हालत में कीमती 12,000/– रूपये को जप्त किये थे ।

12. अभियोजन साक्षी **कमलेश बंजारे (अ.सा.03) एवं प्रतीक तिवारी (अ.सा.05)** ने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किये हैं कि वे अभियुक्तगण स्वपनिल पाटनवार एवं बादल खान उर्फ शेख बसीर खान को नहीं पहचानते हैं । मेमोरेण्डम कथन **प्र०पी० 08,** जप्ती पत्रक **प्र०पी० 09** एवं गिरफतारी पत्रक **प्र०पी० 10** के क्रमशः अ से अ एवं ब से ब भाग पर उनके हस्ताक्षर हैं । प्रतीक तिवारी (अ.सा.05) ने यह भी कथन किया है कि लगभग 5–6 वर्ष पूर्व वह

इलेक्ट्रीकल सामान की सप्लाई का पेमेंट लेने के लिए थाना सरकण्डा गया था तभी पुलिस के कहने पर उसने कुछ दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किया था । उसे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है कि पुलिस ने अभियुक्त बादल खान उर्फ शेख बसीर खान से क्या वस्तु जप्त किया था । इस संबंध में भी जानकारी नहीं है कि अभियुक्त बादल खान उर्फ शेख बसीर खान ने अपने मेमोरेण्डम कथन में क्या कथन किया था । इस संबंध में भी जानकारी नहीं है कि पुलिस ने दो नग जिंदा कारतूस के साथ किसे गिरफ्तार किया था ।

13. अभियोजन द्वारा सूचक प्रश्न पूछे जाने पर कमलेश बंजारे (अ०सा० 03) ने यह अस्वीकार किया है कि अभियुक्त बादल खान से पुलिस के द्वारा उसके समक्ष पूछताछ कर उसका मेमोरेण्डम कथन लिया गया था । यह भी अस्वीकार किया है कि आरोपी बादल खान के पेश करने पर उसके समक्ष एक नगद जिंदा कारतुस जप्त किया गया था । यह भी अस्वीकार किया है कि पुलिस वालों ने उसके समक्ष **प्र०पी० 08, प्र०पी० 09** एवं **प्र०पी० 10** की कार्यवाहियां की थी । उक्त साक्षी के न्यायालयीन कथनों की पुष्टि प्रतीक तिवारी (अ.सा.05) के कथनों से भी होती है।

14. अभियोजन द्वारा **प्रधान आरक्षक अशोक कुमार सिंह (अ०सा० 04)** का परीक्षण कराया गया है, जिन्होंने अपने मुख्य परीक्षण में यह कथन किया है कि वे रक्षित केन्द्र बिलासपुर में जुलाई 2019 से आरमोर्र के पद पर पदस्थ थे । उनकी रक्षित केन्द्र बिलासपुर में पदस्थापना के दौरान दिनांक 18.07.2026 को

आर.आई. साहब श्री धनेन्द्र ध्रुव के लिखित आदेश पर थाना सरकंडा के अपराध क्रमांक 543/2019 अंतर्गत धारा 25, 29 आर्म्स एक्ट में जप्त देशी पिस्टल एवं दो नग जिंदा कारतूस के परिक्षण हेतु प्रतिवेदन के माध्यम से थाना प्रभारी सरकंडा द्वारा आरक्षक 919 दिनेश पटेल के माध्यम से एक नग सीलबंद देशी पिस्टल एवं दो नग राउंड (जिंदा कारतूस) परीक्षण हेतु प्राप्त हुआ था। उक्त देशी पिस्टल एवं दो नग राउंड (जिंदा कारतूस) में बिन्दू क्रमांक एक में जांचकर्ता अधिकारी ने देशी पिस्टल(आग्नेशस्त्रों) चालू हालत में है या नहीं. क्या उक्त पिस्टल से फायरिंग किया गया है या नहीं, अगर किया गया है तो कितने अंतराल में किया गया है–के संबंध में उचित जानकारी चाही गयी थी जिसके जवाब में उन्होंने रक्षित केन्द्र बिलासपुर में उक्त परीक्षण हेतु उचित साधन नहीं होने से राज्य फारेंसिक साईंस लेबोरेटरी (एस.एफ.एस.एल.) रायपुर छ.ग. में परीक्षण कराना उचित होगा, बताया था । बिन्दू क्रमांक 2 में जप्तशुदा 2 नग राउंड (जिंदा कारतूस) के पेन्दे में KF32S&WL अंकित है, किन्तु एक नग राउंड के पेन्दे में चोट का निशाल है जो कि उपयोगी है या नहीं– के संबंध में उचित जानकारी चाही गयी थी जिसके जवाब में उन्होंने रक्षित केन्द्र बिलासपुर में उक्त परीक्षण हेतु उचित साधन नहीं होने से, राज्य फारेंसिक साईस लेबोरेटरी (एस.एफ.एस.एल.) रायपुर छ.ग. में परीक्षण कराना उचित होगा, बताया था । मुलाहिजा उपरांत उन्होंने एक नग देशी पिस्टल तथा दो नग राउंड को सीलबंद कर थाना सरकंडा के महिला आरक्षक 648 ईश्वरी मरावी को वापस देकर

पावती प्राप्त किया । उनके द्वारा किया गया मुलाहिजा प्रतिवेदन **प्रदर्श पी 11** है, जिसके अ से अ भाग पर उनके हस्ताक्षर है तथा ब से व भाग पर पावती देने वाली महिला आरक्षक ईश्वरी मरावी के हस्ताक्षर है ।

15. बचावपक्ष अधिवक्ता द्वारा किए गए प्रतिपरीक्षण में प्रधान आरक्षक अशोक कुमार सिंह (अ.सा.04) ने यह स्वीकार किया है कि इस प्रकरण में थाना प्रभारी द्वारा परीक्षण के संबंध में बिंदु क्रमांक 01 में देशी पिस्टल के आग्नेयास्त्र के रूप में चालू हालत में होने अथवा न होने तथा उक्त पिस्टल से फायरिंग किए जाने अथवा न किए जाने एवं फायरिंग किए जाने की दशा में कितने अंतराल में फायरिंग की गई, इस संबंध में तथा बिंदु क्रमांक 02 में जप्तशुदा दो नग जिंदा कारतूसों में से एक कारतूस के पेंदे पर अंकित चोट के निशान के कारण उसके उपयोगी होने अथवा न होने के संबंध में चाही गई जानकारी उनके द्वारा प्रदान नहीं की गई थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि उक्त दोनों बिंदुओं के संबंध में आवश्यक जानकारी प्राप्त करने हेतु राज्य फारेंसिक साइंस लेबोरेटरी (एस.एफ.एस.एल.), रायपुर के माध्यम से परीक्षण कराया जाना उचित होगा, ऐसा उन्होंने थाना प्रभारी को लेख किया था।

16. उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य के अवलोकन से दर्शित है कि प्रकरण के स्वतंत्र साक्षीगण **बहोरिक राम गंधर्व (अ.सा.01) एवं बबलू शर्मा (अ.सा.02)** द्वारा **प्र०पी०-01** से **प्र०पी०-05** पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है एवं

कमलेश बंजारे (अ.सा. 03) एवं **प्रतीक तिवारी (अ.सा. 05)** द्वारा **प्र०पी०–08** से **प्र०पी०–10** पर अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार किया है परन्तु उनके समक्ष अभियुक्तगण के विरूद्ध किसी भी कार्यवाही के होने से इंकार किया गया है । उक्त साक्षीगण ने अपने न्यायालयीन साक्ष्य में अभियोजन के प्रकरण का समर्थन नहीं किया है। हस्तगत प्रकरण में यह भी अवलोकनीय है कि प्रकरण में अभियोजन को साक्ष्य का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद भी अभियोजन शेष अभियोजन साक्षी एवं प्रकरण के **विवेचनाधिकारी उपनिरीक्षक आर०ए०यादव** का साक्ष्य कराने में असमर्थ रहा है, जिससे प्रकरण में विवेचना की कार्यवाही प्रमाणित नहीं हो सकी है ।

17. सर्वप्रथम यह अवलोकनीय है कि जप्तशुदा आयुध अर्थात् देशी मेड पिस्टल, जिसकी नाल की लंबाई 6 इंच, लोहे की नाल के ऊपर अंगूल भर उभरा हुआ लोहे का बाड़ी, जिसके नीचे ट्रिगर एवं ट्रिगर रॉड लगा है, बट लगभग साढ़े 3 इंच लंबा लोहे का है, जिसमें लकड़ी लगी है, जो पेंच से कसा हुआ है, तथा दो नग जिंदा कारतूस के संबंध में अभियोजन का यह कथन है कि उक्त आयुध एवं कारतूस शासन द्वारा जारी अधिसूचना के प्रावधानों के उल्लंघन में हैं। **धारा 57 भारतीय साक्ष्य अधिनियम** के अंतर्गत न्यायालय द्वारा विधि के रूप में प्रभावी अधिसूचना का न्यायिक संज्ञान लिया जा सकता है। अतः उक्त अधिसूचना को पृथक रूप से प्रमाणित किया जाना आवश्यक नहीं है। **इसके अतिरिक्त, अभियोजन के लिए यह**

प्रमाणित किया जाना आवश्यक था कि कथित रूप से जप्त की गई वस्तु वही देशी मेड पिस्टल एवं दो नग जिंदा कारतूस थे, जिनका उल्लेख आरोप में किया गया है। इस संबंध में अभियोजन द्वारा उक्त पिस्टल एवं कारतूसों को साक्ष्य के दौरान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और न ही उन्हें कोई आर्टिकल क्रमांक प्रदान कर प्रदर्शित किया गया है। माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा **काले बाबू विरूद्ध मध्यप्रदेश राज्य, 2008 (4) MPHT 397** में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि जप्तशुदा आयुध को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एवं प्रदर्शित किया जाना आवश्यक है तथा ऐसा न किया जाना अभियोजन के मामले में सारभूत कमी है। उक्त न्यायदृष्टांत के आलोक में, वर्तमान प्रकरण में भी कथित रूप से जप्त आयुध एवं कारतूसों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत एवं प्रदर्शित नहीं किया गया है। फलतः अभियोजन द्वारा कथित जप्त वस्तुओं की पहचान एवं उनके संबंध में आरोपित तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं हो सके हैं, जिसका लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायोचित है।

18. यद्यपि प्रधान आरक्षक अशोक कुमार सिंह के कथन से यह परिलक्षित होता है कि परीक्षण हेतु प्राप्त पिस्टल एवं राउंड सीलबंद अवस्था में थे, तथापि अभिलेख पर ऐसी विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे यह सुनिश्चित रूप से प्रमाणित हो कि कथित जप्ती के समय ही उक्त आयुध एवं कारतूसों को विधिवत् सीलबंद किया गया था तथा जप्ती से लेकर परीक्षण तक उनकी पहचान एवं सुरक्षित अभिरक्षा की

निरंतर श्रृंखला प्रमाणित है।

19. हस्तगत अपराध में अभियुक्तगण की संलिप्तता प्रमाणित करने हेतु यह प्रमाणित किया जाना आवश्यक है कि अभियुक्तगण द्वारा पिस्टल एवं कारतूस को ज्ञानपूर्वक अपने आधिपत्य में रखा गया था । चूंकि अभियोजन यह ही प्रमाणित करने में असफल रहा है कि उक्त आयुध अभियुक्तगण के आधिपत्य से जप्त हुआ है ऐसे में यह भी नहीं प्रमाणित किया जा सकता है कि अभियुक्तगण ने उक्त पिस्टल एवं कारतूस को ज्ञानपूर्वक अपने आधिपत्य में रखा था । ऐसे में अभियोजन की संपूर्ण कार्यवाही की सत्यता पर प्रश्नचिन्ह उत्पन्न होता है ।

20. उपरोक्त समस्त साक्ष्य तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन से दर्शित है कि अभियोजन द्वारा कथित जप्ती की कार्यवाही को स्वतंत्र साक्षियों के न्यायालयीन कथनों से समर्थन प्राप्त नहीं होता है। स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से कथित जप्ती की पुष्टि नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त, अभियोजन को पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने के उपरांत भी प्रकरण के विवेचनाधिकारी उपनिरीक्षक आर०ए० यादव का साक्ष्य कराने में अभियोजन असमर्थ रहा है, जिसके फलस्वरूप प्रकरण में की गई विवेचना की कार्यवाही भी साक्ष्य के माध्यम से प्रमाणित नहीं हो सकी है। इस प्रकार, प्रकरण में उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्तगण के कब्जे से कथित आयुध एवं कारतूसों की जप्ती तथा उनके सचेत आधिपत्य के संबंध में संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है और आपराधिक विधि

का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि **"संदेह चाहे कितना ही प्रबल क्यों न हो, वह साक्ष्य का स्थान नहीं ले सकता है।"** प्रकरण में स्वतंत्र साक्षियों द्वारा अभियुक्तगण के कब्जे से अभिकथित जप्ती की पुष्टि नहीं किया जाना तथा विवेचनाधिकारी का साक्ष्य उपलब्ध नहीं होना अभियोजन के मामले को संदिग्ध बनाता है। अतः उक्त समस्त परिस्थितियों के आलोक में उत्पन्न संदेह का लाभ अभियुक्तगण को दिया जाना न्यायोचित है।

21. उपरोक्त समस्त साक्ष्य एवं विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि अभियोजन अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिरोपित आरोप के आवश्यक तत्वों को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अभियोजन यह प्रमाणित नहीं कर सका है कि कथित पिस्टल एवं कारतूस अभियुक्तगण के कब्जे से विधिवत् जप्त किए गए थे तथा उक्त आयुध एवं कारतूस अभियुक्तगण के सचेत आधिपत्य में थे। फलतः, अभियोजन द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध अधिरोपित अपराध के आवश्यक तत्व संदेह से परे प्रमाणित नहीं किए जा सके हैं।

–: विचारणीय प्रश्न क्रमांक (III) पर निष्कर्ष :–

22. फलस्वरूप उपरोक्त साक्ष्य विवेचना से यह स्पष्टतः परिलक्षित होता है कि अभियोजन युक्तयुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में **असफल** रहा है कि अभियुक्त स्वपनिल पाटनवार ने दिनांक 16.06.2019 को समय 04:40 बजे स्थान–सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर छ०ग० क्षेत्राधिकार में एवं अभियुक्त

बादल खान उर्फ शेख बसीर खान ने दिनांक 16.09.2019 के डेढ़ वर्ष पूर्व एक देशी मेड पिस्टल जिसकी नाल की लंबाई 6 इंच लोहा नाल के उपर अंगूल भर उभरा हुआ लोहे का बाड़ी जिसके नीचे ट्रीगर एवं ट्रीगर रॉड लगा है बट लगभग साढ़े 3 इंच लंबा लोहे का है जिसमें लकड़ी लगा है जो पेंस से कसा हुआ है चालू हालत में कीमती 1200/– रूपये एवं दो नग जिंदा कारतुस को अपने आधिपत्य में रखकर धारा 4 आयुध अधिनियम, 1959 के प्रावधानों के तहत जारी शासन की अधिसूचना क्रमांक–6112–655 दो बी (1) दिनांक 22.01.1979 का उल्लंघन किया है।

23. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचना के आलोक में अभियुक्तगण **स्वपनिल पाटनवार एवं बादल खान उर्फ शेख बसीर खान** को धारा 25 आयुध अधिनियम के आरोप से **दोषमुक्त** किया जाता है एवं यह निदेशित किया जाता है कि अभियुक्तगण को स्वतंत्र किया जावे ।

24. प्रकरण में अभियुक्तगण की ओर से पेश जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है। किन्तु धारा 481 बी.एन.एस.एस. के तहत प्रस्तुत जमानत मुचलका निर्णय कि तिथि से 6 माह की अवधि तक प्रभावी रहेगा।

25. प्रकरण में अपील अवधि अवसान पश्चात् अपील न होने की दशा में जप्तशुदा संपत्ति एक देशी मेड पिस्टल, जिसकी नाल की लंबाई 6 इंच, लोहे की नाल के ऊपर अंगूल भर उभरा हुआ लोहे का बाड़ी, जिसके नीचे ट्रिगर एवं ट्रिगर रॉड लगा

है, बट करीब साढ़े 3 इंच लंबा लोहे का है, जिसमें लकड़ी लगी है तथा दो नग जिंदा कारतूस, **शासन के पक्ष में राजसात किए जाने का आदेश दिया जाता है। उक्त आदेश के संबंध में जिला दण्डाधिकारी, बिलासपुर को सूचनार्थ मेमो प्रेषित किया जावे।** अपील प्रस्तुत होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्देशानुसार उक्त जप्त संपत्ति का व्ययन किया जावे।

26. निर्णय की एक प्रति अभियोजन को निःशुल्क प्रदान की जावें।

27. अभियुक्तगण द्वारा विचारण के दौरान बिताई गई अवधि का अलग से धारा 428 द०प्र०सं०/468 बी०एन०एस०एस० के अंतर्गत का प्रमाण पत्र बनाकर संलग्न किया गया, जो निर्णय का भाग होगा एवं अभियुक्तगण द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि निरंक है।

दिनांक–25.08.2026

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित, कर घोषित किया गया।

RIYA CHAKRAVORTY Digitally signed by RIYA CHAKRAVORTY

(रिया चक्रवर्ती)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जिला बिलासपुर (छ०ग०)

मेरे निर्देशन पर टंकित।

RIYA CHAKRAVORTY Digitally signed by RIYA CHAKRAVORTY

(रिया चक्रवर्ती)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
जिला बिलासपुर (छ०ग०)

दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 861/2021
छ०ग० राज्य विरूद्ध स्वपनिल पाटनवार + 1 अन्य
CNR NO.CGBI020062432020

न्यायालय :– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर (छ०ग०)
पीठासीन अधिकारी– रिया चक्रवर्ती

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 861/2021
थाना–सरकण्डा, जिला–बिलासपुर
अंतर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम
प्रकरण संस्थित दिनांक – 01/12/2020

छत्तीसगढ़ राज्य – /विरूद्ध/– **स्वपनिल पाटनवार एवं 1 अन्य**

धारा 468 बी.एन.एस.एस. का प्रमाण पत्र

(अंतर्गत धारा–468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023)

क्र.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	न्यायिक अभिरक्षा दिनांक	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	जमानत में रिहा होने का दिनांक	कुल निरोध की अवधि
01.	स्वपनिल पाटनवार, पिता योगेश पाटनवार, उम्र 19 वर्ष, निवासी माता चौरा सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ०ग०)	16.06.2019	17.06.19	17.06.19 से 30.09.19	30.09.2019	105 दिवस

RIYA CHAKRAVORTY
Digitally signed by RIYA CHAKRAVORTY

स्थान– बिलासपुर
दिनांक–25.08.2026

(रिया चक्रवर्ती)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला बिलासपुर (छ०ग०)

- - 20- - दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 861/2021
छ०ग० राज्य विरूद्ध स्वपनिल पाटनवार + 1 अन्य
CNR NO.**CGBI020062432020**

न्यायालय :– न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बिलासपुर (छ०ग०)
पीठासीन अधिकारी– रिया चक्रवर्ती

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 861/2021
थाना–सरकण्डा, जिला–बिलासपुर
अंतर्गत धारा–25 आयुध अधिनियम
प्रकरण संस्थित दिनांक – 01/12/2020

छत्तीसगढ़ राज्य – /विरूद्ध/– **स्वपनिल पाटनवार एवं 1 अन्य**

धारा 468 बी.एन.एस.एस. का प्रमाण पत्र

(अंतर्गत धारा–468 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023)

क्र.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी दिनांक	न्यायिक अभिरक्षा दिनांक	न्यायिक अभिरक्षा की अवधि	जमानत में रिहा होने का दिनांक	कुल निरोध की अवधि
02.	बादल खान उर्फ शेख बसीर खान, शेख बहादुर, उम्र 42 वर्ष, निवासी चटर्जी गली नया सरकण्डा, थाना सरकण्डा, जिला बिलासपुर (छ०ग०)	17.06.2019	17.06.19	17.06.19 से 20.06.19	20.06.2019	4 दिवस

RIYA CHAKRAVORTY
Digitally signed by RIYA CHAKRAVORTY

स्थान– बिलासपुर
दिनांक–25.08.2026

(रिया चक्रवर्ती)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
जिला बिलासपुर (छ०ग०)